

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27, 1935

No. 21]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSHA 27, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

सं. 01/2014-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 28(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, ऐसी वस्तुओं पर जिनका कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.1.3 के अनुसार जारी किये गये अग्रिम प्राधिकार (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त प्राधिकार से संदर्भित किया गया है) के एवज में भारत में आयात किया गया है और जो कि प्रक्रिया पुस्तिका खण्ड 1 के पैराग्राफ 4.4.1 (ख) के अनुसार निषिद्ध मद के निर्यात के लिए है, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उन पर विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण सीमा शुल्क से तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8ख और 9 के अंतर्गत क्रमशः लगने वाले अतिरिक्त शुल्क, रक्षापाय शुल्क तथा प्रतिपाटन शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान करती है, बशर्ते-

(i) कि उक्त प्राधिकार, जिसे कि क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, डेबिट के लिए क्लियरेंस किये जाने के समय सीमा शुल्क के यथोचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है;

(ii) कि उक्त प्राधिकार में आयातकर्ता का नाम और पता, आयातित माल का विवरण और उसकी अन्य विशिष्टताएं तथा परिणामी उत्पाद का विवरण और उसके निर्यात की मात्रा और मूल्य उल्लिखित होना चाहिए;

(iii) कि आयातित माल, जहां लागू हो, उक्त प्राधिकार में उल्लिखित विवरण तथा अन्य विशिष्टताओं के अनुरूप हों और उनका मूल्य और मात्रा उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर हो;

(iv) कि निर्यात अधिसूचित स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नार्मस (एसआईओएन) के अंतर्गत या प्रक्रिया पुस्तिका खण्ड-1 के पैरा 4.4.2 में निर्धारित पूर्व मानदण्डों के अंतर्गत पूर्व आयात शर्तों के अधीन किया जाता हो;

(v) कि आयातकर्ता आयातित माल कि क्लियरेंस के समय ऐसी जमानत या प्रतिभूति से युक्त एक बंधपत्र निष्पादित करता है जो कि उस रूप या उस राशि के रूप में होगी जिसको कि उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए जिसके द्वारा वह अपने को इस बात से प्रतिबद्ध करेगा कि यदि आयातित माल, जिसके बारे में इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं हो पाता है तो वह उस पर लगने वाले शुल्क की बराबर की राशि, उस पर 15% वार्षिक की दर से उक्त माल के क्लियरेंस की तारीख से लगने वाले ब्याज के समेत, का भुगतान करेगा;

(vi) कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत कोई आयात या निर्यात दायित्व के पूरा करने के लिए किया जाने वाला उत्तरवर्ती निर्यात केवल उन्हीं समुद्री पत्तनों या वायुपत्तनों या इनलैण्ड कंटेनर डिपो या सीमा शुल्क भू-केन्द्रों से किया जाता है जो निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट है:-

सारणी

क्र.सं.	ईडीआई युक्त पत्तन/आईसीडी/एलसीएस	अवस्थिति
1	समुद्री पत्तन	बेदी (रोजी-जामनगर सहित) चेन्नई, कोचीन, दहेज, काकीनाडा, कांडला, कोलकाता, कृष्णापट्टनम, एन्नोर (तमिलनाडु), कराईकल (संघ राज्य क्षेत्र के पुडुचेरी), मगडाल्ला, मंगलौर, मर्मागोवा, मुंबई, मुंद्रा, नागापट्टनम, न्हावाशेवा, पारादीप, पीपावाव, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम
2	हवाई पत्तन	अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई, कोचीन, कोयंबटूर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम.
3	इनलैण्ड कंटेनर डिपो	आगरा, अहमदाबाद, बंगलौर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भुसावल, छेल्लिपाल्यम (तमिलनाडु), छेहाडता (अमृतसर), कोयंबटूर, दादरी, दौलताबाद (मालीवाड़ा), दिल्ली, डिगही (पुणे), दुर्गापुर (निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गर्ही हरसारु, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईरुगुर गांव (तमिलनाडु), इरुनगाट्टुकोट्टाई (एसआईपीसीओटी औद्योगिक पार्क, काट्टाराम्बक्कम गांव, श्रीपेरुम्बुदुर तालुक), जयपुर, जालंधर, जोधपुर, कानपुर, करूर, कट्टुपल्ली, कोटा, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मंडीदीप (जिला रायसेन), मरीपल्लेम गांव (जिला गुंटूर इडलापाडु तालुका में), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, पाटली (गुडगांव), पीतमपुर (इंदौर), रायपुर, रेवाड़ी, तलेगांव (जिला पुणे), तिरुपुर, तूतीकोरिन, वडोदरा, बालुज (औरंगाबाद)
4	सीमाशुल्क भू केन्द्र	जोगवनी, पेट्रापोल, रक्सौल

(vii) कि निर्यात दायित्व, जैसा कि उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट है, को (मूल्य और मात्रा दोनों ही रूपों में) आयातित माल के क्लियरेंस की तारीख से नब्बे दिन के भीतर ऐसे परिणामी उत्पादों (उक्त प्राधिकार में विनिर्दिष्ट) का निर्यात करके पूरा कर दिया जाता है-

(क) जिनका कि उक्त प्राधिकार के एवज में आयातित माल का प्रयोग करते हुए भारत में विनिर्माण किया गया हो; और

(ख) जिनके बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 18 (विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर भुगतान किए गए शुल्क में छूट) या नियम 19 के उप-नियम (2) के अंतर्गत सुविधाएं न ली गई हों।

(viii) कि उक्त प्राधिकार धारक निर्यात दायित्व को प्रतिपादित मूल्य संवर्धन के साथ पूरा करता है;

(ix) कि प्रक्रिया पुस्तिका खंड-1 के पैरा 4.28 के प्रावधानों में निहित कोई बात उक्त प्राधिकार के संबंध में लागू नहीं होगी;

(x) कि प्राधिकार धारक निर्यात के समय इस आशय का वचनपत्र देता है कि परिणामी उत्पाद, जिसका कि उक्त प्राधिकार के एवज में निर्यात किया जा रहा हो, जो कि अन्यथा निर्यात के लिए निषिद्ध हो, का विनिर्माण उस सामग्री से किया गया है जिसका कि उक्त प्राधिकार के अंतर्गत पहले ही आयात किया गया हो तथा उक्त वचनपत्र में उक्त प्राधिकार के अंतर्गत किए गए आयात और निर्यात का ब्यौरा दिया गया हो;

(xi) कि उक्त प्राधिकार का अंतरण नहीं किया जाएगा और आयातित सामग्री वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन होगी और उसका किसी भी प्रयोजन या किसी भी उपाय से विक्रय या अंतरण नहीं किया जाएगा यहां तक कि जॉब कार्य के लिए भी नहीं;

(xii) कि आयातकर्ता निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि की समाप्ति के 60 दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जिसके लिए उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, अनुमति दे उपायुक्त सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो के संतुष्टि के लिए निर्यात दायित्व पूरा किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

2. जहां कि, उक्त माल दोषपूर्ण या प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है तो उक्त माल को इसकी क्लियरेंस की तारीख से 30 दिन के भीतर या ऐसी अवधि तक जैसा कि आयुक्त, सीमा शुल्क अनुमति दे जो कि निर्धारित अवधि से अधिकतम 30 दिन और अधिक हो सकती है, के भीतर विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस निर्यात किया जा सकता है :

बशर्ते कि, उस समय उपायुक्त, सीमा शुल्क या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, इस बात से संतुष्ट हो कि वापस निर्यात किया जाने वाला माल वही है जिसका कि आयात किया गया था।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, -

(i) “विदेश व्यापार नीति” से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति 2009-2014 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना सं. 1 (आरई-2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड (3), उपखंड

(ii) में प्रकाशित किया गया है;

- (ii) “प्रक्रिया पुस्तिका खंड 1” से अभिप्राय प्रक्रिया पुस्तिका खंड 1, 2009-2014 से है जिसे भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक अधिसूचना सं. 1 (आरई-2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012, , के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-I, खंड (1) में प्रकाशित किया गया है;
- (iii) “विनिर्माता” से अभिप्राय वही है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.36 में इसके लिए दिया गया है;
- (iv) “माल” से अभिप्राय ऐसे कच्चे माल, उपभोग योग्य माल, ईंधन और पैकेजिंग सामग्री से है जिसकी जरूरत परिणामी उत्पाद के विनिर्माण में होती है;
- (v) “क्षेत्रीय प्राधिकारी” से अभिप्राय विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की जाती है या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे व्यक्ति से भी है जिसको कि उसने उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप समेत, जारी करने के लिए प्राधिकृत किया होता है।

[फा.सं. 605/27/2013-डीबीके]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2014

No. 01/2014-Customs

G.S.R. 28(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India against an Advance Authorisation issued in terms of paragraph 4.1.3 of the Foreign Trade Policy meant for export of a prohibited item in terms of paragraph 4.4.1 (b) of the Handbook of Procedures Volume 1 (hereinafter referred to as the said authorisation) from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and from the whole of the additional duty, safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon, respectively, under section 3, 8B and 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions, namely :-

- (i) that the said authorisation, issued by the Regional Authority, is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;
- (ii) that the said authorisation bears the name and address of the importer, the description and other specifications of the imported material and the description, quantity and value of exports of the resultant product;
- (iii) that the imported material corresponds to the description and other specifications, where applicable, mentioned in the said authorisation and the value and quantity thereof are within the limits specified in the said authorization;
- (iv) that the export is made subject to pre-import condition under notified Standard Input Output Norms (SION) or under prior fixation of norms in terms of Para 4.4.2 of Handbook of Procedures Volume 1;
- (v) that the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption contained herein, on the imported materials in respect of

which the conditions specified in this notification are not complied with, together with interest at the rate of fifteen percent. per annum from the date of clearance of the said materials:

- (vi) that the imports under the said authorisation and the subsequent exports for fulfilling the export obligation are undertaken only through the seaports or airports or Inland Container Depots or Land Customs Stations which are specified in the Table below:-

TABLE

S. No.	EDI- enabled Port/ ICD/LCS	Located at
1.	Seaport	Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Kakinada, Kandla, Kolkata, Krishnapatnam, Ennore (Tamilnadu), Karaikal (Union territory of Puducherry), Magdalla, Mangalore, Marmagoa, Mumbai, Mundhra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Tuticorin, Visakhapatnam
2.	Airport	Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Cochin, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Trivandrum, Visakhapatnam
3.	Inland Container Depot	Agra, Ahmedabad, Bangalore, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chettipalayam (Tamilnadu), Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Daulatabad (Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Hyderabad, Irugur Village (Tamilnadu), Irungattukottai (SIPCOT Industrial Park, Kattrambakkam Village, Sriperumbudur Taluk), Jaipur, Jalandhar, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kattupalli Kota, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Mandideep (District Raisen), Marripalem Village (in Edlapadu Taluk of District Guntur), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Patli (Gurgaon), Pithampur (Indore), Raipur, Rewari, Talegaon (District Pune), Tirupur, Tuticorin, Vadodara, Waluj (Aurangabad)
4.	Land Customs Station	Jogbani, Petrapole, Raxaul

- (vii) that the export obligation as specified in the said authorisation (both in value and quantity terms) is discharged within ninety days from the date of clearance of imported materials by exporting the resultant product (specified in the said authorization),-
- which is manufactured in India using the material imported against the said authorisation; and
 - in respect of which the facility under rule 18 (rebate of duty paid on materials used in manufacture) or sub-rule (2) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002 has not been availed;
- (viii) that the Authorization Holder fulfills the export obligation, including the stipulated value addition;
- (ix) that nothing contained in the provisions of Para 4.28 of Handbook of Procedures Volume 1 shall be applicable in relation to the said authorization;
- (x) that at the time of export the authorisation holder gives an undertaking to the effect that the resultant product, being exported against the said authorization, which is otherwise prohibited for export, has been manufactured from the material already imported under the said authorisation and the said undertaking contains the details of the imports and exports made under the said authorisation;
- (xi) that the said authorization shall not be transferred and the imported material shall be subject to actual user condition and shall not be sold or transferred for any purpose, or by any means, including job work;
- (xii) that the importer produces evidence of discharge of the export obligation to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, within a period of sixty days of the expiry of period allowed for fulfillment of export obligation, or within such extended period as the said Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow.

2. Where the materials are found defective or unfit for use, the said materials may be re-exported back to the foreign supplier within thirty days from the date of clearance of the said material or such extended period, not exceeding a further period of thirty days, as the Commissioner of Customs may allow:

Provided that at the time of re-export the materials are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, as the materials which were imported.

Explanation. – For the purpose of this notification, -

(i) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy 2009-2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce No. 1 (RE – 2012) /2009-2014 dated the 5th June, 2012 as amended from time to time;

(ii) “Handbook of Procedures Volume 1” means the Handbook of Procedures Volume 1, 2009-14, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 *vide* public notice of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, No.01 (RE - 2012)/2009-2014, dated the 5th June, 2012 as amended from time to time;

(iii) “Manufacture” has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.36 of the Foreign Trade Policy;

(iv) “Materials” means raw materials, consumables, fuel and packaging materials required for manufacturing of the resultant product;

(v) “Regional Authority” means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under the said Act.

[F.No.605/27/2013-DBK]

SANJAY KUMAR, Under Secy.